

एन0एच0-9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक अपर गंग नहर की मील 106.775 से 107 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.2) बांयी पटरी ग्राम मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य की संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में

स्तम्भ संख्या 11 के निरीक्षण के सम्बन्ध में

दिनांक 16.08.2019 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अंकित संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। स्थलीय एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

स्तम्भ सं0 7 वी से 12 तक:- प्रश्नगत क्षेत्र में वनस्पतियों में/वन्य जन्तु लुप्त प्राय प्रजातियों का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ पुरातत्त्विक/रक्षा अधिष्ठान में सम्बन्धित स्मारक क्षेत्र नहीं है।

स्तम्भ सं0 8:- प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। वैकल्पिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

स्तम्भ सं0 9:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


अधिशायी अभियन्ता (जोन-5),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गाजियाबाद रेंज


(क्षेत्रीय अधिकारी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद
गाजियाबाद।